मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी

पंजीकरण दिनॉक: निर्णय दिनॉक: अवधि:
07/31/18 02/26/20 1 वर्ष, 6 माह, 26 दिन
माह/दिनॉक/वर्ष माह/दिनॉक/वर्ष

पीठासीनः चंद्रोदय कुमार, एच.जे.एस.

एम.ए.सी.पी.संख्या–292/2018

श्रीमती अहिल्या पटेल पत्नी स्वर्गीय उमेश पटेल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम तिलैरा अक्सेव थाना लहचूरा जिला झांसी उ.प्र.

––––––––याचिया
(अधिवक्ता श्री बलवीर पाली)

प्रति

1. पुष्पेंद्र पटेरिया पुत्र राकेश कुमार पटैरिया निवासी एस.डी. पब्लिक स्कूल बरौला सेक्टर 49 गौतम बुद्ध नगर नोएडा उ.प्र.

.....मालिक व चालक वैगन आर कार संख्या UP 16 ET 4781

2. दि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जरिए शाखा प्रबंधक इलाइट टॉकीज के पीछे सिविल लाइन झांसी

.....बीमा कर्ता वैगन आर कार संख्या UP 16 ET 4781

––––––प्रतिवादी गण
(अधिवक्ता श्री शशिभूषण कनकने)

निर्णय

प्रस्तुत याचिका मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम की धारा 166 व 140 के अन्तर्गत कथित मोटर वाहन दुर्घटना में याचिया श्रीमती अहिल्या पटेल को आयी चोटों के कारण विपक्षीगण के विरूद्ध ₹15,25,000/– क्षतिपूर्ति मय याचिक प्रस्तुत करने के दिनॉक से 12% ब्याज व खर्चा मुकदमा हेतु प्रस्तुत की गयी है।

2. याचिका के अनुसार संक्षेप में प्रकरण यह है कि उमेश पटेल दिनॉक 21.06.2018 समय 5:30 बजे शाम अपनी पत्नी अहिल्या व पुत्र असमित पटेल के साथ मोटरसाइकिल नंबर UP 93AZ 4756 से अपनी साइड से धीमी गति से आ रहे थे। जैसे ही वह रेवन वगलन पेट्रोल पंप के पास पहुंचे कि उसी समय मऊरानीपुर की तरफ से एक सफेद रंग की कार जिसके आगे नंबर प्लेट पर जिला प्रभारी विश्व हिंदू महासंघ झाँसी व कार संख्या UP 16 ET 4781 लिखा था का चालक कार को बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाता हुआ लाया और उमेश पटेल की मोटरसाइकिल में तेजी व लापरवाही से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उमेश पटेल को काफी गंभीर चोटें आईं व अहिल्या पटेल को दोनों पैर व शरीर में गंभीर चोटें आईं। असमित को भी गंभीर चोटे आईं। सभी को अस्पताल लाया गया जहां उमेश पटेल को मृत घोषित कर दिया गया। याचिया सिलाई कढ़ाई से ₹10,000 प्रतिमाह कमाती थी जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण करती थी और उसके परिवार में एकमात्र कमाने वाली महिला थी। याचिया के पैर में स्थाई अपंगता आ गई।

3. विपक्षी सं. 1 पर तमीला पर्याप्त होने के पश्चात भी जवाब दावा दाखिल नहीं किया गया है।

4. विपक्षी सं. 2 की ओर से 27B जवाबदावा दाखिल कर याचिका के कथनों से इन्कार करते हुये मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि कार संख्या UP 16 ET 4781 से कोई दुर्घटना नहीं हुयी है। याची का पति अपनी मोटरसाइकिल UP 93AZ 4756 जिस पर याची बैठी थी बहुत तेजी व लापरवाही से चला रहा था तथा रास्ते में एक जानवर आ जाने के कारण अपनी मोटरसाइकिल तेजगति के कारण संभाल नहीं सका , उसकी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.08.13 15:47:20 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi

मोटरसाइकिल स्लिप होकर रोड किनारे खंती में गिर गई जिससे याची को चोटें आईं। यदि कार के चालक के पास दुर्घटना के समय वैध व प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स व बीमा होना नहीं पाया जाता हैं तो इस आधार पर याची कोई क्षतिपूर्ति राशि पाने की अधिकारी नहीं है। यदि यह माना जाता है कि मोटरसाइकिल व कार के मध्य दुर्घटना हुई है तो मोटरसाइकिल चालक की योग दाई उपेक्षा को संज्ञान में लिया जाएगा। विपक्षी बीमा कम्पनी का उत्तरदायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तो के अनुसार ही होता है।

5. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनॉक 11.04.2018 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये–

1. क्या दिनॉक 21.06.2015 को समय शाम करीब 05.30 बजे स्थान ग्राम जागेश्वर पेट्रोल पंप के पास बहद ग्राम रेवन थाना टोड़ीफतेहपुर जिला झाँसी में कार वैगन आर संख्या UP 16 ET 4781 के चालक ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए उमेश कुमार जो अपनी पत्नी अहिल्या व पुत्र असमित पटेल के साथ अपनी मोटरसाइकिल नंबर UP 93AZ 4756 से अपनी साइड से आ रहे थे की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर बैठी याची श्रीमती अहिल्या पटेल गंभीर रूप से घायल हो गई?

2. क्या प्रश्नगत दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की अंशदाई/योगदाई उपेक्षा के कारण घटित हुई?

3. क्या प्रश्नगत दुर्घटना दिनॉक व समय पर कार वैगन आर संख्या UP 16 ET 4781 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस था?

4. क्या दुर्घटना दिनॉक समय पर कार वैगन आर संख्या UP 16 ET 4781 विपक्षी संख्या 2 दि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से विधिवत बीमित थी और वाहन का संचालन बीमा शर्तों के अधीन किया जा रहा था?

5. क्या याची विपक्षी गण से प्रतिकार की धनराशि पाने का हकदार है, यदि हॉ तो कितनी व किससे?

6. पक्षकारों की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं:–

1. याची द्वारा फेहरिस्त 7C1 के माध्यम से 8C1 लगायत 11C1 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट, परिवार रजिस्टर, डॉक्टर का पर्चा व याची के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ शामिल हैं,

2. याची द्वारा फेहरिस्त 16C1 के माध्यम से 17C1 लगायत 19C1 जिनमें कार संख्या UP 16 ET 4781 का पंजीयन प्रमाणपत्र, बीमा पॉलिसी, विपक्षी सं. 1 के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतिलिपियॉ शामिल हैं,

3. याची की ओर से फेहरिस्त 32C1 के माध्यम से 331/1 लगायत 34C1 जिनमें प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्र की सत्यापित प्रतियॉ शामिल हैं,

4. याची की ओर से 39C1 के माध्यम से उमेश पटेल के ड्राईविंग लाइसेंस की छाया प्रतिलिपि शामिल हैं,

5. याची द्वारा फेहरिस्त 40C1 के माध्यम से 41C1 लगायत 56C1 जिनमें अनेंक मेडिकल बिल व पर्चे शामिल हैं

6. विपक्षी सं. 2 की ओर से फेहरिस्त 61C1 के माध्यम से कार संख्या UP 16 ET 4781 की बीमा पॉलिसी की सत्यापित प्रति शामिल हैं।

7. याची की ओर से मौखिक साक्ष्य में PW1 के रूप में याचिया श्रीमती अहिल्या पटेल एवं PW2 के रूप में आरोपपत्र के साक्षी नेपाल सिंह पुत्र जयराम को परीक्षित कराया गया है,

8. विपक्षी सं. 2 की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में अरुण थापर DW1 को परीक्षित कराया गया है। अन्य कोई साक्ष्य किसी और से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7. मैंने उभयपक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन किया।

8. <u>निस्तारण वाद बिन्दु सं. 1 व 2</u>

वाद बिन्दु संख्या 1 व 2 के सम्बन्ध में चक्षुदर्शी PW2 व PW1 जो आरोप पत्र का भी गवाह है ने याचिका के कथनों का समर्थन किया है। इस साक्षी की प्रति परीक्षा में कुछ संदेहपूर्ण बातें अवश्य हैं जैसे घटना की चौहद्दी न बता पाना और रिश्तेदार होते हुए भी घायलों को अस्पताल न ले जाना किंतु वे इस प्रकार की नहीं है जिससे कि दुर्घटना पर पूरी तरह संदेश किया जा सके। दुर्घटना तथा कार संख्या UP 16 ET 4781 के चालक द्वारा कार को तेजी व लापरवाही से चला कर दुर्घटना कारित किए जाने पर चालक पुष्पेंद्र पटेरिया के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। योग दाई उपेक्षा का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है अत: वाद बिंदु संख्या एक सकारात्मक रूप से तथा वाद बिंदु संख्या दो नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

9. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 3</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर प्रपत्र सं. 19C1 कार चालक पुष्पेंद्र पटेरिया पुत्र राकेश कुमार की चालन अनुज्ञप्ति की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार चालक दिनॉक 09.05.2013 से 31.05.2020 तक ट्रांसपोर्ट वाहन तथा दिनॉक 09.05.2013 से 08.05.2033 तक नान ट्रांसपोर्ट वाहन चलाने के लिए अनुज्ञप्त है। इस अनुज्ञप्ति का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया जा सका है। घटना दिनॉक 21.06.2018 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार संख्या UP 16 ET 4781 के चालक के चालक के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाइसेन्स था। अत: वाद बिन्दु सं. 3 सकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

10. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4</u>

इस वाद बिन्दु के सम्बन्ध में पत्रावली पर कई प्रपत्र प्रस्तुत किए गए हैं जिनमे से मात्र प्रपत्र सं. 18C1 व 61C1 ही पठनीय है। 18C1 के अनुसार कार संख्या UP 16 ET 4781 का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेन्स कम्पनी द्वारा किया गया है जो दिनॉक 23.06.2018 से 22.06.2019 तक प्रभावी है। पत्रावली पर प्रपत्र सं. 61C1 के अनुसार कार संख्या UP 16 ET 4781 का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया है जिसके सत्यापन प्रमाण पत्र के अनुसार बीमा दिनॉक 12.06.2017 से 11.06.2018 तक प्रभावी है। इस पॉलिसी का खंडन बीमा कम्पनी द्वारा नही किया गया है। दुर्घटना दिनॉक 21.06.2018 की है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुरानी पॉलिसी दुर्घटना के पहले लैप्स हो चुकी थी व नई पॉलिसी दुर्घटना के बाद मे प्रभावी हुई है। अत: वाद बिन्दु सं. 2 नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

11. <u>निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 5</u>

चूंकि दुर्घटना कार संख्या UP 16 ET 4781 के चालक पुष्पेंद्र पटेरिया विपक्षी सं. 1 की लापरवाही के कारण हुई है और दुर्घटना के समय कार बीमित नही थी अतः क्षतिपूर्ति की का दायित्व पुष्पेंद्र पटेरिया विपक्षी सं. 1 का बनता है। स्थाई या अस्थाई रूप से

विकलांगता का कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही है। हड्डी टूटने, ऑपरेशन की सलाह, के समर्थन मे चिकित्सीय साक्ष्य प्रपत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। इलाज से संबंधित अनेंक बिल दाखिल किए गए हैं जो लगभग ₹9,200 के हैं जबकि इससे कुछ अधिक का व्यय होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थितियों में उक्त गंभीर चोटों पर मानसिक व शारीरिक कष्ट, पुष्टाहार, सहायक की सेवाओं के लिए खर्च, इलाज के लिए अवागमन पर खर्च व अस्थायी रूप से कार्य न कर पाने की हानि के मदों मे लमसम ₹20,000 विपक्षी संख्या 1 से दिलाया जाना न्यायोचित होगा। इस पर ब्याज 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक की दर से याचिका प्रस्तुत करने के दिनॉक से दिलाया जाना भी न्यायोचित होगा।

आदेश

याची की याचिका विपक्षी सं. 1 पुष्पेंद्र पटेरिया के विरुद्ध आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति धनराशि ₹**20,000/– (बीस हजार**) मय 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए स्वीकार की जाती है। विपक्षी सं. 1 को आदेशित किया जाता है कि वह याची को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कर दें।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो।

दिनॉक 26.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवम् दिनॉकित कर खुले न्यायालय मे उदघोषित किया गया।

दिनॉक 26.02.2020

(चंद्रोदय कुमार)
मोटर दुर्घटना प्रतिकर न्यायाधिकरण
झाँसी

MACT JHANSI